

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(13)शिक्षा-2/2021 दिनांक 29.08.2022 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 01.09.2022 द्वारा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित कार्मिकों की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए पदस्थापन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसमें श्री रोशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामरेड कलां, जमवारामगढ़, जयपुर की राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय भदेसर, चित्तौड़गढ़ में प्रतिनियुक्ति की गयी थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(19)शिक्षा-2/2020 दिनांक: 22.12.2022 की पालना में उक्त जारी प्रतिनियुक्ति आदेश द्वारा श्री रोशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामरेड कलां, जमवारामगढ़, जयपुर की राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय भदेसर, चित्तौड़गढ़ में की गई प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/मॉडल स्कूल पदस्थापन/2021/213 दिनांक: 12/01/2023
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर संभाग जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)